अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, रामगढ़।

विविध (सी0आर0आर0) वाद संख्या–02 / 2019

चन्द्रमा यादव वगै0 बनाम शेख सुल्तान मियाँ एवं राज्य

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

27/01/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के पत्रांक–1371 / रा0, दिनांक–16.11.2018 के माध्यम से विविध वाद संख्या–04 / 2016–17 / 10 / 2016–17 से संबंधित मूल अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ द्वारा उभय पक्षों की जमाबंदी संदिग्ध पाई गई है एवं मौजा हुहुआ के खाता संख्या–56 रकवा–2.47 एकड़ भूमि पंजी–II के पृष्ठ संख्या–52 / 6 पर शेख सुल्तान मियां के नाम से बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश से की गई प्रविष्टि को रद्द करने के अनुशंसा की गई है। विषयगत वाद में वर्णित भूमि की विवरणी निम्न है–

क्र0	मौजा	थाना	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा (एकड़ में)
1	हुहुवा	रामगढ़	**56**	1941	0.54
				1982	0.66
				1999	0.18
				2053	0.71
				2055	0.38
				Total-	**2.47**

विषयगत वाद में दिनांक–15.06.2019 को उभय पक्षों का अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत करने निमित नोटिस निर्गत किया। द्वितीय पक्ष द्वारा बार–बार समय की मांग की गई जिसकी स्वीकृति दी जाती गई। परन्तु वाद सुनवाई की निर्धारित तिथि को पुनः समय की माँग की गई। जिसे अस्वीकृत करते हुए प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत पक्ष एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के आधार पर विषयगत वाद में आदेश पारित किया गया।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि मौजा हुहुवा, थाना रामगढ़, जिला रामगढ़ के खाता सं0–56, प्लॉट सं0–1941, रकवा–0.54 एकड़, प्लॉट सं0–1982, रकवा–0.66 एकड़, प्लॉट सं0–1999, रकवा–0.18 एकड़, प्लॉट सं0–2053, रकवा–0.71 एकड़ एवं प्लॉट सं0–2055, रकवा–0.38 एकड़, कुल रकवा–2.47 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में भिखुआ महतो एवं अन्य के नाम से दर्ज है। भिखुआ महतो को पैसे की जरूरत होने के कारण वर्ष 1937 को उक्त भूमि विद्या किशोर शर्मा और सुरत राय को बिक्री कर दिया। दोनों क्रेताओं ने भूमि का मूल्य 100 रूपया से कम होने के कारण उक्त भूमि का उचित मूल्य 49 / –रू0 भिखुआ महतो को अदा कर अनिबंधित केवाला के माध्यम से प्राप्त किया। तदोपरान्त क्रेता भूमि पर दखल–कब्जा कर उक्त भूमि पर कृषि कार्य निष्पादित करने लगे। लगभग वर्ष–1964–65 में जब उक्त मौजा का बुझारत में क्रेताओं का भूमि पर दखल–कब्जा पाते हुए एवं राज्य सरकार को वर्ष–1973–74 तक लगान अदा करते पा कर नया जमाबंदी कायम कर दी गई। 1982 से 1985 तक दोनों क्रेता बाहर चले जाने के कारण उक्त भमि का लगान नहीं चुका सके। जिसका फायदा विपक्षी ने उठाया। उन्होंने जाली कागजात बनाकर विपक्षी सुल्तान मियां ने 2014–15 को हल्का कर्मचारी से मिलकर जमाबंदी कायम कराकर लगान रसीद निर्गत करा लिए। विपक्षी सुल्तान मियां द्वारा गलत दाखिल–खारीज वाद सं0–672 / 14–15 जो सुधीर

महतो, पिता–स्व0 रान चरण महतो, ग्राम बड़कीपोना के नाम से आदेश पारित हुआ है, अपना दाखिल–खारीज बता रहें हैं।

अंचल अधिकारी, रामगढ़ के द्वारा द्वितीय पक्ष की जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा के साथ अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ को अग्रसारित किया गया। वास्तव में अधिकारी, रामगढ़ के विविध वाद सं0–16/65–66 में पारित आदेश के द्वारा जमाबंदी विद्या किशोर शरण एवं सुरत राय के नाम से खुला है। मौजा हुहुवा, थाना रामगढ़, जिला रामगढ़ के खाता सं0–56, प्लॉट सं0–1941, रकवा–0.54 एकड़, प्लॉट सं0–1982, रकवा–0.66 एकड़, प्लॉट सं0–1999, रकवा–0.18 एकड़, प्लॉट सं0–2053, रकवा–0.71 एकड़ एवं प्लॉट सं0–2055, रकवा–0.38 एकड़, कुल रकवा–2.47 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में भिखुआ महतो, किटका महतो, गिरधारी महतो, बिशु महतो और रमडी महतो, सभी पिता बिला महतो के नाम से दर्ज है। किटका महतो, गिरधारी महतो, बिशु महतो और रामदो महतो की मृत्यु हो चुकी है और उनकी मृत्यु के बाद उसका भाई भिखु महतो उक्त भूमि के उत्तराधिकारी पाये गये और दखल–कब्जा में आये। भिखु महतो, पिता–बिला महतो ने मौजा हुहुवा, थाना रामगढ़, जिला रामगढ़ के खाता सं0 56, प्लॉट सं0 1941, रकवा–0.54 एकड़, प्लॉट सं0–1982, रकवा–0.66 एकड़, प्लॉट सं0–1999, रकवा–0.18 एकड़, प्लॉट सं0–2053, रकवा–0.71 एकड़, प्लॉट सं0–2055, रकवा–0.38 एकड़, कुल रकवा–2.47 एकड़ भूमि विद्या किशोर शर्मा, पिता–अमीर राय एवं सुरत राय, पिता–मधु राय को 49/– (उन्चास रूपये) के निबंधित केवाला, दिनांक–10.03.1937 को बिक्री कर दिया और क्रेता दखल–कब्जा में आये। भूतपूर्व जमीन्दार खाता सं0–56, रकवा–2.47 एकड़ भूमि का वार्षिक लगान रसीद अदा करते आ रहे हैं। जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात् पंजी–II में विद्या किशोर शर्मा एवं सुरत राय के नाम से खुला और पहला लगान रसीद संवत् 2008 से 2011 तक निर्गत था। विद्या किशोर शर्मा एवं सुरत राय ने मौजा हुहुवा के खाता सं0 56, रकवा 2.47 एकड़ भूमि का नियमित लगान रसीद के लिए अंचल अधिकारी, रामगढ़ के यहां आवेदन दिया और अंचल अधिकारी, रामगढ़ ने विविध वाद सं0–16/65–66 खोलकर हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन की मांग की। जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट है कि आवेदक सन् 1937 से शांतिपूर्ण कृषि कर दखल–कब्जा में हैं। अंचल अधिकारी, रामगढ़ ने खाता सं0–56, रकवा–2.47 एकड़ भूमि को भूतपूर्व जमीन्दार के नाम से लगान रसीद नियमित कर दिया। अंचल अधिकारी, रामगढ़ के पारित आदेश दिनांक–28.09.1965 के आलोक में खाता सं0–56, रकवा–2.47 एकड़ भूमि रेन्ट 2.50 रू0 है और वर्ष 1973–74 तक लगान रसीद निर्गत है। सुरत राय की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र चन्द्रमा यादव और विद्या किशोर शर्मा के मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र कौशल किशोर शर्मा उक्त भूमि के उत्तराधिकारी हुए तथा दखल–कब्जा में आये।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा द्वितीय पक्ष के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करने एवं प्रथम पक्ष के नाम से कायम जमाबंदी को यथावत् जारी रखने का अनुरोध किया गया है।

विषयगत वाद में भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ द्वारा अपने आदेश फलक में अंकित किया है कि उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, रामगढ़ के द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा हुहुआ के खाता संख्या–56 सर्वे खतियान में भीखुआ महतो वो गिरधारी महतो वो किटका महतो वो वीशु महतो वो रमदी महतो पिता–बिला महतो के नाम से रैयत बेलगान काबिल लगान दर्ज है। प्रथम पक्ष का कहना है कि उक्त भूमि वर्ष–1937 में अनिबंधित केवाला से भिखुवा महतो से प्राप्त है। लेकिन उनके द्वारा आज तक उक्त भूमि की जमाबंदी कायम का कोई भी प्रयास नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, रामगढ़ के अनुसार उक्त भूमि पर प्रथम पक्ष एवं उनके पूर्वजों के नाम से जमाबंदी कायम नहीं है और ना ही रसीद निर्गत हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत कागजात एवं लगान रसीद संदेहास्पद प्रतीत होता है। द्वितीय पक्ष का कहना है कि प्रथम पक्ष द्वारा केवल एक खतियानधारी रैयत से क्रय का दावा करते हैं। लेकिन शेख सुल्तान मियां चारों खतियानी रैयत भीखुवा महतो, गिरधारी महतो, किटका महतो, विशु महतो वल्द बिला महतो से 15.04.1938 को क्रय किये हैं एवं दाखिल–खारिज वाद संख्या–672/14–15 के द्वारा जमाबंदी कायम की गई है। इसमें भी संदेह उत्पन्न होता है। क्योंकि अंचल अधिकारी, रामगढ़ के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दाखिल–खारिज वाद संख्या–672/14–15 में सुधीर महतो पिता स्व0 रामचरण महतो साकिन बड़कीपोना के नाम से खाता संख्या–109 प्लॉट संख्या–1709 रकवा–0.07 एकड़ भूमि स्वीकृत है। द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत पंजी–II की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि शेख सुल्तान मियां की जमाबंदी दाखिल–खारिज वाद संख्या–672/14–15 के आदेशानुसार कायम है, तो इसमें अंचल कार्यालय, रामगढ़ एवं तत्कालिन राजस्व कर्मचारी के क्रिया कलापों में संदेह उत्पन्न होता है। क्योंकि दाखिल–खारिज वाद संख्या–672/2014–15 मौजा बड़कीपोना है फिर उसी क्रमांक से मौजा–हुहुआ का जमाबंदी कैसे कायम की गई है। इस संबंध में अंचल अधिकारी, रामगढ़ को आदेश दिया जाता है कि तत्कालीन कर्मी/कर्मचारी को चिन्हित करते हुए नियम–संगत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ उक्त विवादित भूमि जब बेलगान है तो उसका विधिवत् लगान निर्धारण सक्षम पदाधिकारी के द्वारा होना चाहिए था। परन्तु किसी भी पक्ष के द्वारा लगान निर्धारण संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, रामगढ़ ने प्रतिवेदित किया है कि दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत कागजात संदेहास्पद है एवं द्वितीय पक्ष के नाम से कायम जमाबंदी गलत है। अतः बेलगान काबिल लगान भूमि का बिना लगान निर्धारण कराये दाखिल–खारिज होकर कायम संदेहास्पद जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

अतः उभय पक्षों के कागजातों को देखने वो अनुशीलन करने से यह प्रतीत होता है कि उभय पक्षों द्वारा दाखिल–खारिज विक्रय–पत्र अनिबंधित है, और अंचल अधिकारी, रामगढ़ के द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि पर किसी भी पक्षकार का दखल–कब्जा नहीं है। जहाँ तक जमाबंदी का प्रश्न है तो प्रथम पक्ष की जमाबंदी खुली ही नहीं है, और द्वितीय पक्ष की जमाबंदी दाखिल–खारिज वाद संख्या–672/2014–15 द्वारा संधारित है। परन्तु उक्त दाखिल–खारिज वाद के कागजात

मौजा–छोटकीपोना थाना रजरप्पा के सुधीर महतो के नाम से पाया गया है। इस तरह द्वितीय पक्ष की जमाबंदी भी गलत प्रतीत होता है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अंचल अधिकारी, रामगढ़ को आदेश दिया जाता है कि इस बात पर गहन छान–बीन करें कि खतियानी रैयत के वारिशान जीवित है या नहीं और उक्त बेलगान जमीन का माल निर्धारण किया हुआ था या नहीं, या यदि हुआ था, तो किसके नाम से हुआ था। साथ ही दाखिल–खारिज वाद संख्या–672/2014–15 की पूर्ण जाँच अंचल अधिकारी, रामगढ़ स्वयं करें एवं नियम–संगत कार्रवाई भी करें। साथ ही साथ प्रस्तुत कागजातों एवं अंचल अधिकारी, रामगढ़ के अनुशंसा के आलोक में दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत कागजात संदेहात्मक प्रतीत होता है एवं द्वितीय पक्ष के नाम से कायम जमाबंदी भी गलत प्रतीत होता है। अतः अंचल अधिकारी, रामगढ़ के अनुशंसा एवं उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मौजा हुहुआ के खाता संख्या–56 रकवा–2.47 एकड़ भूमि पंजी–II के पृष्ठ संख्या–52/6 पर शेख सुल्तान मियां के नाम से बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश से की गई प्रविष्टि को रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत कागजात, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ एवं अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा अनुशंसा अवलोकन से स्पष्ट है कि उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत कागजात संदेहप्रद है।

अतः भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा प्राप्त अनुशंसा की स्वीकृति प्रदान करते हुए अंचल अधिकारी, रामगढ़ को आदेश दिया जाता है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करेंगे।

इस आदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी, रामगढ़ को भेजें।

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

Digitally signed by NELSAM EYON BAGE
Date: 2022.11.05 13:21:18 +05:30
Location: 192.168.0.9